18/1/24 पत्रावली पेश हुई। प...
अन्य राज्य कार्य में ...
पत्रावली ...ओर दिनांक 17/1/25
को पेश हो।

पत्रावली पेश ... ...हैं
17/1/25 अन्य रा... ...। अत
पत्रावली ... दिनांक 24/1/25
को पेश हो।

पत्रावली पे... ... ...
24/1/25 अन्य ... ... अत
पत्रावली ... दिनांक 29/1/25
को पेश हो।

29/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 को जवाब T.9 हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 12/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

12/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 उपस्थित वकील अप्रार्थीसं. 1 लगा 5 की ओर से जवाब T.9 पेश नहीं। जवाब बन्द किया जाता है वास्ते बहस T.9 हेतु दि० 21/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

21/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित सुनी। प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियम से तय होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। सुनाया।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

...ठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
...ी नं. : 204 / 2024
...ी दिनांक : 21.02.2026

उनवान

1. बिरदीचन्द पुत्र स्व० रामनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. श्रीमती सरजू देवी उर्फ सुरज देवी पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नी स्व० श्री नाथू जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. श्रीमती धापू पुत्री स्व० श्री रामनारायण पत्नी श्री हनुमान सहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. श्रीमती भौरी देवी पत्नी स्व० श्री भौरीलाल उर्फ मोतीलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. कजोडमल पुत्र स्व० श्री भौरीलाल उर्फ मोतीलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर
6. श्रीमती सुशीला देवी पुत्री स्व० श्री भौरीलाल उर्फ मोतीलाल पत्नी श्री लालचन्द जाति बागडा ब्राहमण निवासी कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर
7. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व० श्री भौरीलाल उर्फ मोतीलाल पत्नी श्री कैलाश जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
8. श्रीमती लाली पुत्री स्व० श्री भौरीलाल उर्फ मोतीलाल पत्नी श्री रामप्रसाद जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम मोहनपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
9. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व० श्री भौरीलाल उर्फ मोतीलाल पत्नी श्री कालूराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम खजुरिया ब्राहमणान तहसील बस्सी जिला जयपुर
10. श्रीमती गुलाब देवी पुत्री स्व० श्री भौरीलाल उर्फ मोतीलाल पत्नी श्री चिमनलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम नाहरिया का बास तहसील चाकसू जिला जयपुर
11. नानगराम पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद
12. हनुमान सहाय पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद
13. सीताराम पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद
14. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व० श्री रामप्रसाद

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश नारायण पुत्र स्व० श्री भौरिया
2. सुरेश पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण
3. रामगोपाल पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण
4. रामेश्वर पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण
5. लालाराम पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

6. मांगीलाल पुत्र छाज्या
7. हरिनारायण पुत्र छाज्या
8. रामचरण पुत्र स्व० श्री छीतर

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक कार्यालय सांगानेर प्रथम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आज प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त विचाराधीन वाद पत्र बाबत् घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा को ठोस व सुदृढ़ तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण की सफलता प्राप्ति की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी मंगली बेवा रामनारायण के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 316 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी खसरा नम्बर 320 रकबा 12 बिस्वा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 327 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 320 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी कुल किता 6 कुल रकबा 4 बिघा 11 बिस्वा वाके ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में हिस्सा 1/4 व साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 2 बिस्वा गै0 मु0 चाह वाके ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में हिस्सा1/16 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1992 को भौरिया पुत्र नानगा जाति बागड़ा ब्राम्हण निवासी ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर से क्रय किया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जमाबन्दी संवत 2036–2039 में रामनाथ , भौरिया, प्रताप, छोट्या पिता नानगा कौम बागड़ा ब्राम्हण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। जिसमें भौरिया पुत्र नानगा ने अपना 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की माता, प्रार्थी संख्या 4 व 14 की सास, व प्रार्थी संख्या 4 लगायत 13 की दादी स्व. श्रीमति मंगली देवी ने क्रय किया था परन्तु सहवन से उक्त भूमि का नामान्करण स्व0 श्री मंगली देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित नही किया गया परन्तु क्रयशुदा भूमि पर क्रय के बाद प्रार्थी का ही कब्जा काश्त रहा है। उक्त क्रयशुदा भूमि के विक्रता स्व0 भौरिया की मृत्यु हो चुकी है परन्तु प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी स्व0 श्री मंगली देवी ने जिस भौरिया से उक्त भूमि को जरिये विक्रय पर क्रय किया था उस भौरिया के वारिसान के नाम से उक्त भूमि का नामान्तकरण न खोलकर एक अन्य व्यक्ति भौरिया पुत्र नानगा के वारिसों के नाम से नामान्तकरण खोल दिया गया। जबकि जिस भौरिया पुत्र नानगा के वारिसान के नाम से प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी स्व0 श्रीमति मंगली देवी भूमि का नामान्तकरण खोला गया वह उक्त भमि का विक्रता नही था भौरिया, श्रीया पुत्र नानगा ग्राम खेतापुरा के निवासी है जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी ने भूमि क्रय नही की थी। स्व0 श्रीमति मंगली देवी ने जिस भौरिया से भूमि क्रय की थी वे चार भाई रामनाथ, भौरिया , प्रताप, छोट्या पिता नानगा कौमा बागड़ा ब्राम्हण के नाम से थी जिसमें से वादिया ने एक भाई भौरिया का 1/4 हिस्सा क्रय किया था। इस कारण भूप्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारीयों ने गलत रूप से स्व0 भौरिया के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम से गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 517 रकबा 0.27 है0, ख0न0 518 रकबा 0.33 है0, ख0न0 522 रकबा 0.14 है0, ख0न0 527 रकबा 0.14 है0, ख0न0 530 रकबा 0.12है0, ख0न0 531 रकबा 0.07 है0, कुल किता

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

कुल रकबा 1.18है0 वाके ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिलय जयपुर बने। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/4 जो गलती से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गयी। अप्रार्थी 1 लगायत 5 ने उक्त विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 522 रकबा 0.14है0 अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को उक्त भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नही था। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा किया गया विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य व निरप्रभावी है। उक्त क्रयशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का क्रय करने की दिनांक से ही कब्जा काश्त व उपयोग है तथा आज भी मौके पर कृषि काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि पूर्व में ग्राम खेतापुरा पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिलय जयपुर में स्थित थी परन्तु जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के आदेश क्रमांक –भू0अ0/ई–3/2019/7351 दिनांक 28.05.2019 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 के खण्ड के अधिन ग्राम सीमाओं को परिवर्तित करने हेतु प्रत्योजित की गई है उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व ग्राम के नक्शा के डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया में तहसीलदार सांगानेर के पत्रांक 1780 दिनांक 24.05.2019 द्वारा डीआईएलआरमपी कार्यक्रम के तहत प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार तहसील सांगानेर के पटवार मण्डल मोहनपुरा के राजस्व ग्राम खेतापुरा के ग्राम श्यामपुर बुहारिया में सम्मिलित कर दिये गये जिसके अनुसार ग्राम खेतापुरा में स्थित प्रार्थीगण की भूमि ग्राम श्यामपुरा बुहारिया में खसरा नम्बर 517 रकबा 0.2700 से खसरा नम्बर 440 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.33 है0 से खसरा नम्बर 441 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.25 है0 से खसरा नम्बर 451 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.12 है0 से खसरा नम्बर 545 रकबा 0.12 है0 , खसरा नम्बर 531 रकबा 0.07 है0 से खसरानम्बर 455 रकबा 0.07 है0 बना दिये गये। जिसके 1/4 हिस्सा पर प्रार्थीगण क्रय करने की दिनांक से काबिज काश्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहें है। वर्तमान जमाबन्दी में उक्त भूमि हाल खाता संख्या 28 के खसरा सं0 440 रकबा 0.27 है0, खसरा सं0 441 रकबा 0.33 है0, खसरा सं0 451 रकबा 0.25 है0, खसरा सं0 454 रकबा 0.12 है0, खसरा सं0 455 रकबा 0.07 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम से तथा हाल खाता संख्या 74 के खसरा नम्बर 445 रकबा 0.14 हे0 वाके ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। परन्तु उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण हकपूर्वाधिकारी के द्वारा क्रय करने की दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा आज भी काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजीयात जो कि गलती से अप्रार्थी 1 लगायत 5 के नाम से लग गयी है और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने उक्त आराजीयात के खाता संख्या 74 के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.14 है0 में प्रार्थीगण हिस्सा 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 को विक्रश कर दिया है को वापस प्रार्थीगण ने अपने नाम से करवाने के लिए अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को आश्वसन देते रहे है। परन्तु दिनांक 05.07.2024 को अप्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण के नाम से लगवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण को धमकी दी कि उक्त आराजीयात से आपको बेदखल कर उक्त आराजीयात से बेदखल कर देगें इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना वास्ते घोषणा रिकार्ड

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

रूरती व स्थायइ निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थीगण घोषणा करवाने का अधिकारी है कि र्थना पत्र के पैरा नमबर 8 में वर्णित आराजीयात हाल खाता संख्या 28 में वर्णित खसरा नम्बरान प्रार्थीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व कार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में से 1/8 हिस्सा व अप्रार्थी 2 लगायत 5 कि हिस्से में से /8 हिस्सा कम किया जावे इस प्रकार हाल खाता सेख्या 74 के खसरा नम्बर 445 रकबा 0.14 है0 अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के हिस्से में से 1/4 हिस्सा कम कर किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 गायत 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/20–1/20 व प्रार्थी संख्या 4 लगायत 10 का हिस्सा 1/20 तथा र्थी संख्या 11 लगायत 14 का हिस्सा 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जताकर उसी नुसार लगान निर्धारण किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द रमाया जावे कि जब तक उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से की घोषणा होकर उनका म राजस्व रिकार्ड में अंकित नही हो जाता तब तक उक्त आराजीयात का विक्रय, रहन इकरारनामा, हननामा, उपहार पत्र इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से नही करे तथा न ही प्रार्थीगण को क्त आराजीयात से बेदखल कर जबरन कब्जा करे ऐसा न स्वयं करें नही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट केदार इत्यादि से करवाये तथा प्रार्थीगण के शांतिपुर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा त्पन्न नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 9 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अप्रार्थी ख्या 10 को विक्रय , इकाररनामा , रहननामा , उपहार, मुख्तयारनामा इत्या किसी व्यक्ति के नाम तस्दीक न करने बाबत् पावन्द फरमाया जावे । वाद कारण दिनाक 5/7/2024 को तब शुरू आ जब अप्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण के नाम से लगवाने से स्पष्ट इनकार करने था प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर उक्त आराजीयात पर दिगर व्यक्तियो का ब्जा करवाने की धमकी देने से शुरू होकर निरन्तर जारी है। प्रथमद्वष्टया केश व सुविधा का न्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज इरादो मे कामयाब गये तो प्रार्थीगण अपनी कब्जेकाश्त व वैध्य हक हकुको की आराजीयात से सैदव के लिये महरूम जायेगे। जिससे अपूर्वतनीय क्षति कारित होगी जिसकी पुर्ति किसी रूप में किया जाना सम्भव नही गा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है अप्रार्थी सख्या एक लगायत आठ को ताफैसला दावा रिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि हाल खाता सख्या 28 के खसरा न० खसरा 0 440 रकवा 0.27 है० खसरा न0 441 रकबा 0.33 है०, खसरा न० 451 रकबा 0.25 है०, खसरा 0 454 रकवा 0.12 है0, खसरा न0 455 रकबा 0.07 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है० एवं ाल खाता सख्या 74 के खसरा नम्बर 445 रकबा 0.14 है० वाके वाके ग्राम श्यामपुरा बुहारिया ूरडीहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से की घोषणा होकर उनका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हो जाता है तब तक उक्त आराजीयात का विक्रय रहन, इकाररानामा ुख्त्यारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से नही करे तथा न ही प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात े बेदखल कर जबरन कब्जा करे ऐसा न स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट ठेकेदार इत्यादि से करवाये तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा अप्रार्थी सख्या नो को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अप्रार्थी सख्या दस को विक्रय

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

इकरारनामा, रहननामा, उपहार पत्र, मुख्तयारनामा इत्यादि किसीद दिगत व्यक्ति के नाम से क न करने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 बावजूद ठीक तरह तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 17.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के विरूद्ध रफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 कि ओर वाब प्रार्थना पत्र पेश नही। दिनांक 12.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का जवाब बन्द जाने के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी सख्या लगायत आठ को तापैसला दावा जरिये अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल ा सख्या 28 के खसरा न० खसरा न0 440 रकबा 0.27 है० खसरा न0 441 रकबा 0.33 है०, ारा न० 451 रकबा 0.25 है०, खसरा न0 454 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 455 रकबा 0.07 है० 1 किता 5 कुल रकबा 1.04 है० एवं हाल खाता सख्या 74 के खसरा नम्बर 445 रकबा 0.14 है० ो वाके ग्राम श्यामपुरा बुहारिया सूरडीहरील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थीगण के 1/4 हिस्से घोषणा होकर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही हो जाता है तब तक उक्त आराजीयात विक्रय रहन, इकराराननामा मुख्त्यारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से नही करे तथा न प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर जबरन कब्जा करे ऐसा न स्वयं करे न ही अपने ोन्ट सर्वेन्ट ठेकेदार इत्यादि से करवाये तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी ार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा अप्रार्थी सख्या नो को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये ाने तथा अप्रार्थी सख्या दस को विक्रय पत्र, इकरारनामा, रहननामा, उपहार पत्र, मुख्तयारनामा त्यादि किसीद दिगत व्यवित के नाम से तस्दीक न करने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त वलोकन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं त्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न ोन बिन्दू विचारणीय है:– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

वादग्रस्त भूमि हाल आराजी प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड दर्ज नही है प्रार्थीगण के पुर्वाधिकारी ंगली बेवा रामनारायण द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1992 को भौरिया पुत्र नानगा से क्रय केया थां। हाल आराजी के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय नही होता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

...जयपुर (द्वितीय)

उक्त भौमी किस्तूरी का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अपनी संख्या । समायत में भी खातेदारी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं होता है, और नहीं ही होना बात का। प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर